दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
8 03/19	अभिलेख उपस्थापित।आवेदक दुराय बारी,पिता– स्व0 बोंज बारी,ग्राम– पुटिसिया ,थाना– मंझारी, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– मौदा, थाना नं०–253,खाता नं०–172, प्लॉट नं०–1422, रकबा– 0.15 एकड़ भूमि क्रेता पीताम्बर बिरूवा,पिता–बिरजाल बिरूवा,ग्राम– बालकान्ड, थाना– मंझारी के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम से ना0 मु0सं0 05/2016–17 के द्वारा नामान्तरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी,सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–99, दिनांक– 09.3.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता पीताम्बर बिरूवा,पिता–बिरजाल बिरूवा,ग्राम– बालकान्ड,थाना– मंझारी ,थाना–मुफ्फसिल चाईबासा के पास 2,64,000.00/–(दो लाख चौसठ हजार)रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफ्फसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता दुराय बारी,पिता– स्व0 बोंज बारी,ग्राम– पुटिसिया ,थाना– मंझारी , क्रेता पीताम्बर बिरूवा,पिता–बिरजाल बिरूवा,ग्राम– बालकान्ड, थाना– मंझारी के पास जमीन का कुल 2,64,000.00/–(दो लाख चौसठ हजार)रूपये में मौजा– मौदा, थाना नं०–253,खाता नं०–172, प्लॉट नं०–1422, रकवा– 0.15 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति.....................दी जाती है। लेखापित। (हस्ताक्षर) भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 8/3/19 भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।	